संख्या- 26/संख्या- 1619/सात-न्याय-2-15-85 जी/2011

प्रेषक,

अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक- 03दिसम्बर,2015

विषय:- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु उ0प्र0 के 70 जिला न्यायालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत सिस्टम आफिसर एवं सिस्टम सहायक की संविदा धनराशि का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 70 जनपदों में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के संचालन हेतु कार्यरत सिस्टम आफिसर के पद पर प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद हेतु अनुमन्य पे बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 के आधार पर रू0 13900 + मंहगाई भत्ता पर संविदा धनराशि तथा सिस्टम सहायक के पद पर पे बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 के आधार पर रू0 8000 + मंहगाई भत्ता पर संविदा धनराशि निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त संविदा वेतन उन्ही कार्यरत कार्मिको को देय होगा जो शासनादेश संख्या-144 /सात-न्याय-2-2012-85 जी /2012 दिनांक 02 फरवरी 2012 द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों ।

3- उक्त कार्मिको को समय-समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ता देय होगा ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है । ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक -2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश- 16-विशेष तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-12-1474/दस -2015 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अब्दुल शाहिद)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 26 (1)1619 /सात-न्याय-2-2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- वरिष्ठ निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ ।
3- सेन्ट्रल प्रोजेक्ट को आर्डिनेटर,ई कोर्ट प्रोजेक्ट मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद
4- समस्त जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0 ।
5- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- वित्त वेतन आयोग-1/2 ।
7- वित्त ई-12 /न्याय अनुभाग-9 ।
8- इण्टर नेट पर अपलोड करने हेतु/गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

(जे0पी0सिंह-II)
विशेष सचिव ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है । ।